न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 08 / 23 दायरा दिनांक 07.08.2023

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल करीम उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी समरानिया तह0 शाहावाद जिला बारां राज0 प्रार्थी

बनाम

1–मोहम्मद ईस्लाम पुत्र अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी समरानिया तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

2–रिंकू पुत्र मो0 ईस्लाम जाति मुसलमान निवासी समरानिया तह0 शाहावाद जिला बारां राज0 अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक– 22.04.2025

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से–श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से–एकपक्षीय

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुशियारा तहसील शाहावाद में आराजी ख0नं0 641 / 1056 रकबा 1.12 बीघा कृषि भूमि स्थित है यह आराजी प्रार्थी के खाते कब्जे एवं स्वामित्व की है, जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित भूमि एन.एच. 27 के किनारे स्थित है जिसमें से करीब 4.00 बीघा भूमि हाईवे निर्माण में अवाप्त हुई है शेष रकबा 1.12 बीघा मौके पर स्थित है जिस पर प्रार्थी का बोर लगा है, जिससे आराजी सिंचित है। विवादित आराजी से लगी हुई प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सहखाते की अन्य आराजी स्थित है। प्रार्थी का अप्रार्थीक्रम 1 भाई व अप्रार्थीक्रम 2 उसका पुत्र है। अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर विवादित आराजी पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं, इसी नीयत से अप्रार्थीगण दिनांक 14.04.2023 को विवादित आराजी पर पहुंचे और प्रार्थी को धमकी देने लगे कि इस खेत को हम काश्त करेंगे तुम इसकी सफाई मत करो, इस जमीन पर कब्जा करने से हमारी जमीन की कीमत हो जायेगी। जाते समय धमकी देकर गये कि विवादित भूमि पर कब्जा करेंगे। अप्रार्थीगण की धमकी से प्रार्थी के हक हकूक मालिकाना को भारी खतरा हो गया है, अप्रार्थीगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकारक र अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी ख0नं0 641 / 1056 रकबा 1.12 बीघा ग्राम कुशियारा तहसील शाहाबाद पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट ने अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा तथा जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, परन्तु पर्याप्त दिये जाने के बावजूद वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया और दिनांक 22.04.2025 को अनुपस्थित रहे, अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:40:29 IST
Reason: SelfAttested

22.04.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

प्रार्थी की ओर से एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न पत्रावली नकल जमाबंदी ग्राम समरानिया सम्वत 2072–75 खाता संख्या 5 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 641/1056 रकबा 1.12 बीघा प्रार्थी के रिकार्डेड खातेदारी की है, जिस पर संलग्न नकल खसरा गिरदावरी अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त प्रमाणित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद ग्राम समरानिया तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 641/1056 रकबा 1.12 बीघा के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम की जाती है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रार्थनापत्र फैसल होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

22.04.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:40:29 IST
Reason: SelfAttested